विवरण–II

1–1–1993 से 31–1–1995 तक की अवधि में अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के राज्यवार ब्यौरे

राज्य	अनुमोदित निवेश (रुपये करोड़ में)
महाराष्ट्र	5430.78
पश्चिम बंगाल	2925.75
दिल्ली	2624.37
गुजरात	1773.99
तमिलनाडु	1369.77
आंध्र प्रदेश	1116.84
मध्य प्रदेश	913.14
उड़ीसा	814.08
कर्नाटक	523.06
पंजाब	501.28
राजस्थान	335.01
हरियाणा	317.39
उत्तर प्रदेश	133.92
पांडिचेरी	113.40
गोवा	82.06
चंडीगढ़	71.86
बिहार	70.97
दादर और नागर हवेली	36.24
केरल	35.43
हिमाचल प्रदेश	13.96
अरुणाचल प्रदेश	11.06
दमन और दीव	8.48
अंडमान और निकोबार	0.96
असम	0.92
त्रिपुरा	0.68
अन्य (राज्य नहीं दर्शाये गये)	4383.96
योग :	23606.36

देश में चीनी मिलें

1573. प्रो० राम लखन सिंह वर्मा : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान चीनी मिलों की कुल संख्या क्या है और उनमें से कितनी चीनी मिलें सरकारी क्षेत्र में हैं तथा कितनी चीनी मिलें गैर-सरकारी क्षेत्र में हैं;

(ख) क्या यह सच है कि देश में अनेक चीनी मिलें घाटे में चल रही हैं और वे अपने श्रमिकों को समय पर वेतन नहीं दे पा रही हैं ;

(ग) यदि हां, तो उनकी संख्या राज्यवार क्या है ;

(घ) क्या सरकार घाटे में चल रही चीनी मिलों को कोई वित्तीय सहायता देने पर विचार कर रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) 31–1–1995 की स्थिति के अनुसार खाद्य मंत्रालय में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, देश में 435 चीनी के कारखाने अधिष्ठापित थे । जिनमें से 69 चीनी की मिलें सरकारी क्षेत्रों में, 122 निजी क्षेत्रों में तथा 244 सहकारी क्षेत्रों में थीं ।

(ख) और (ग) चीनी की मिलों के बारे में लाभ तथा घाटे का लेखा सरकार द्वारा नहीं रखा जाता है ।

(घ) और (ङ) चीनी मिलों को पुनर्वास/आधुनिकीकरण के लिये उनकी अपनी योजनायें तैयार करनी होती हैं । और उन्हें संबंधित संस्थानों द्वारा स्वीकृत कराना होता है । इस प्रकार के पुनर्वास/आधुनिकीकरण के लिए शर्तों को पूरा करने पर चीनी विकास निधि (एस डी एफ) से भी रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता मिलती है ।